UPJB010036032026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जिला अमरोहा ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–945/2026

शाहरूख पुत्र अली अहमद , निवासी मोहल्ला दरबारे कला, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या-154/2026
धारा-89,70(1) बी.एन.एस.।
थाना-डिडौली , जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः 09.06.2026–

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त शाहरूख की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा के मोहल्ले का शाहरूख ने लगभग दो वर्षों से वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता चला आ रहा है। वादिनी जब भी शाहरूख से शादी को कहती तो शाहरूख आज कल अज कल करके टाल मटोल करता रहता तथा कई बार वादिनी को उसकी मर्जी के बिना गर्भ निरोधक गोली खिलाकर गर्भपात कारित कर चुका है तथा कई बार अपने परिवार के विरूद्ध झूठे शिकायते कारित करा चुका है। घटना दिनांक 13.02.2026 को समय करीब 04.00 बजे शाम को शाहरूख ने वादिनी को सोनाली वाले मजार पर बुलाया कि शादी की बात करनी है। वादिनी जैसे ही सोनाली के मजार के पास पहुंची तो शाहरूख वादिनी को पास के बाग में ले गया, एक व्यक्ति अज्ञात जो पहले से ही छिपा हुआ था वह भी आ गया, उसने भी वादिनी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा दोनों ने बारी बारी से बलात्कार किया बाद में शाहरूख अपनी मोटरसाईकिल पर रहा था कि कोई बात नहीं है, ये भी मेरे रिश्ते का भाई है, इसके बारे में किसी से मत कहना। वादिनी ने सारा वाकिया अपनी बहन को बताया तो वादिनी की बहन ने रिपोर्ट करने को कहा तो शाहरूख कहना लगा कि मैं जल्द ही साजिया से शादी कर लूंगा, आप किसी से मत कहना तथा शाहरूख वादिनी को अगले दिन मिलने को होटल में बुलाने लगा। वादिनी दिनांक 14.02.2026 को समय करीब 09.00 बजे सुबह बुलाये गये व ग्रेड एम्पायर होटल गयी तो शाहरूख ने वादिनी को कहने लगा कि उसे वादिनी से शादी करनी है, रखने वाला तो मैं ही हू, झांसे में लेकर रूम नम्बर 206 में कई बार बलात्कार किया और वादिनी को छोड़कर चला गया। सारा मामला उक्त होटल के सीसी कैमरे में मौजूद है। कुछ देर के बाद फोन पर शाहरूख ने शादी को मना कर दिया। अगले दिन वादिनी रिपोर्ट लिखाने डिडौली थाने गये परन्तु थाने वालों ने वादिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और आज कल आज

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.09 15:18:48 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कर करके टाल मटोल करते रहे। वादिनी ने एक प्रार्थना पत्र रजि. डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया।

03. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है तथा कथित अपराध कारित नहीं किया है। उक्त वाद में उसे झूठा फंसाया गया है। वादिनी मुकदमा प्रार्थी की पत्नी है तथा निहायत ही चालाक व धोखेबाज किस्म की महिला है। वह दिनांक 27.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का उसकी पत्नी द्वारा लिखाये गये मुकदमों के अलावा कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

04. अभियोजन/वादी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

05. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः-

I. इस मुकदमें की पीड़िता ने न्यायालय के माध्यम से दर्ज करवाये इस मुकदमें में प्रारम्भ की चार लाईनों में लिखा है कि '' प्रार्थिनी के मोहल्ले के शाहरूख पुत्र अली मौहम्मद लगभग *2* वर्षों से प्रार्थिनी को शादी का झांसा देकर प्रार्थिनी का शारीरिक शोषण कर रहा है। प्रार्थिनी जब भी शादी को कहती है , तो शाहरूख आज कल कहकर टालमटोल करता रहता है। कई बार प्रार्थनी की मर्जी के बिना गर्भ निरोधक गोली खिलाकर गर्भपात करा चुका है।'' वादिया द्वारा दी गयी इस जानकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शाहरूख अभियुक्त वादिया के मोहल्ले का कोई व्यक्ति है जो विगत दो वर्ष से वादिया के साथ शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बना रहा है और गर्भपात करा रहा है। यह सूचना वर्ष 2026 में दी गयी है, इसके अनुसार लगभग 2024 से दोनों व्यक्ति आपसी प्रेम सम्बन्ध में हैं।

परन्तु इसी वादिया द्वारा एक अन्य मुकदमा अपराध संख्या 145/2026, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा पर यह कहते हुए दर्ज करवाया कि उसके ससुरालवाले दहेज के मुकदमे में दबाव बनाने के लिए प्रार्थिया को उसके पति **शाहरूख पुत्र अली अहमद** से तलाक दिलवाकर, शाहरूख की दूसरी शादी करवाने की धमकी दे रहे है। आगे लिखा है दिनांक 29.01.2026 को उसका पति शाहरूख गन्दी गालियां देते हुए घर में घुस आया और फैसला न करने के कारण तीन बार तलाक कहकर आजाद कर दिया। एक और अन्य मुकदमा 374/2025, थाना अमरोहा नगर में इसी वादिया के द्वारा अपने जेठ अय्यूब पुत्र अली अहमद के विरूद्ध ससुराल में दिनांक 06.05.2025 को छेड़खानी करने का दर्ज करवाया है और मुकदमा संख्या 267/2025 इसी वादिया की प्रार्थना पर दहेज प्रताड़ना और आठ लाख रूपये दहेज मांगने के लिए तथा पति शाहरूख की दूसरी शादी करने की धमकी देने के लिए ससुरालीपक्ष के विरूद्ध दर्ज हुआ है।

II. उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इस मुकदमे की प्रार्थिया जिन दो वर्षों की अवधि में मोहल्ले के शाहरूख नामक व्यक्ति पर विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा रही है, असल में वह शाहरूख उसका पति है और शाहरूख व उसके परिवारजनों के विरूद्ध वादिया के द्वारा पूर्व में दहेज प्रताड़ना , छेड़खानी आदि के तीन मुकदमें दर्ज किये गये हैं। यह प्रस्तुत चौथा मुकदमा डिडौली थाने में पूर्व के मुकदमों को छिपाकर और आपसी सम्बन्धों को छिपाकर मामले को रंगत देने के लिए और गंभीर रूप प्रदान करने के लिए विवाह का झांसा देकर वलात्कार का आरोप लगाते हुए, अपने पति के विरूद्ध, उसका पति होना छिपाकर दर्ज करवाया गया पृथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है।

III. प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग प्रतीत हो रहे इस मामले में विवेचक ने अभियुक्त शाहरूख को गिरफ्तार कर लिया जो दिनांक 27.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

IV. अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास/ रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

06. उपरोक्त परिस्थितियों में यह मामला जमानत प्रदान किये जाने योग्य प्रतीत हो रहा है। अतः अभियुक्त शाहरूख पुत्र अली अहमद को निम्न शर्तों के अधीन जमानत प्रदान की जा रही है-

1. अभियुक्त प्रत्येक सम्बन्धित विचारण/सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से न्यायालय को अवगत कराते हुए **संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का बन्धपत्र और या निर्धारित प्रतिभूति/प्रतिभूतियां निष्पादित करके जमानत का लाभ प्राप्त करेगा।**

2. दौरान विवेचना/ विचारण में सहयोग करेगा व हस्तक्षेप नहीं करेगा।

3. न्यायालय द्वारा विचारण की स्वतन्त्रता के लिए जो भी विधिसम्मत शर्ते अपने आदेश में तय की जायेंगी , उनका पालन करेगा।

4. विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आहूत करने पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सहयोग करेगा।

5. विचारण के दौरान कार्यवाही को बाधित नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

6. शर्तों के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिसम्मत आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

7. अभियुक्त यदि बंधपत्र में दिये गये अपने पते में परिवर्तन करते हैं , तो इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को या आरोप पत्र आ जाने पर न्यायालाय को देनी होगी। इस शर्त का पूरा कराने का दायित्व भी प्रतिभूगण का होगा।

8. यदि जमानती दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना अभियुक्त को तत्काल न्यायालय को देनी होगी और अपना समर्पण न्यायालय के समक्ष करते हुए नये प्रतिभू उपलब्ध कराने होंगे, ऐसा न होने पर यह आधार जमानत निरस्तीकरण के लिये पर्याप्त होगा।

उपरोक्त शर्तो का प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–09.06.2026

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।